


8/1/26

अधिवक्ता अपीलान्त उप०। पत्रावली का अवलोकन किया।
प्रकरण में भादेशिका दिनांक 3/11/2024 के द्वारा अधिवक्ता
अपीलान्त को रेसपो. के राफेस्ट एडी नोटिस पेश करने हेतु
निर्देशित किया गया। अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा आप
दिनांक 18 न्यायालय एका के उक्त आदेश की पापना नहीं
की गई। तथा अधिवक्ता अपीलान्त को अनेकानेक अवसर
प्रदान किये गये, लेकिन कसते वावपुद जान-बूझकर न्यायालय
आदेश की तर्कमूल नहीं की जा रही है। अतः अधिवक्ता
अपीलान्त द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना करने से
उक्त अपील अदम तर्कमूल में खारिज की जाती है।
पत्रावली इसी मूताधिक निर्णित की जाकर वाद नम्बर ले
होकर दायित्व दफ्तर हो।


राजस्थान अपील प्राधिकारी
पाली